

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक—

/पटना,दिनांक:

संचिका सं०:-01/उ0ब0स0(पुनर्विनियोग)-01/18

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना

* अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

द्वारा— वित्त विभाग* ।

विषय:—संलग्न विवरणी के अनुदान सं०-23 के मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80 सामान्य, लघु शीर्ष 102 औद्योगिक उत्पादकता, मॉग संख्या 23, उपशीर्ष 0160 प्री-प्रोडक्सन एवं पोस्ट-प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष:-0160.33.01 सब्सिडी में कुल ₹ 12,78,75,000.00 (बारह करोड़ अठहत्तर लाख पचहत्तर हजार) मात्र का पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश:-बिहार वित्तीय नियमावली खण्ड-। के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत।

2. राशि का विकलन मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80 सामान्य, लघु शीर्ष 102 औद्योगिक उत्पादकता, मॉग संख्या 23, उपशीर्ष 0135 इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, विपत्र कोड 23-2852801020135, विषय शीर्ष-0135.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन में कुल ₹ 12,78,75,000.00 (बारह करोड़ अठहत्तर लाख पचहत्तर हजार) मात्र में बचत की राशि से विकलित होगा।

3. वैट की प्रतिपूर्ति/प्रवेश कर/जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, बिहार, पटना को की जायेगी।

4. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी जिला के वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी, वाणिज्य-कर विभाग होंगे जो वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटन के आधार पर संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेंगे।

5. प्रस्ताव में सचिव व्यय (वित्त विभाग). की सहमति संचिका संख्या-01/उ0ब0स0(पुनर्विनियोग)-01/18 के पृष्ठ-08/टी० पर दिनांक-23.03.18 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या-1975 दिनांक 23.03.18 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना

/पटना, दिनांक: 24-03-18

ज्ञापांक-01/उ0ब0स0(पुनर्विनियोग)-01/18

1329

प्रतिलिपि-अनुलग्नक सभी संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना

शीर्षक जिसके अधीन अतिरिक्त अनुदान अपेक्षित है।						शीर्षक जिससे विनियोग प्रस्तावित है।					
मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80 सामान्य, लघु शीर्ष 102 औद्योगिक उत्पादकता, मॉग संख्या 23, उपशीर्ष 0160 प्री-प्रोडक्सन एवं पोस्ट-प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160						मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80 सामान्य, लघु शीर्ष 102 औद्योगिक उत्पादकता, मॉग संख्या 23, उपशीर्ष 0135 इन्टरप्रेनियर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, विपत्र कोड 23-2852801020135					
विनियोग की प्राथमिक इकाईयाँ	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान अनुदान	तत्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित व्यय	अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान	कुल अनुदान जो जोड़ने के बाद रहेगा	विनियोग की प्राथमिक इकाईयाँ	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान अनुदान	तत्काल लिए गए प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च	प्रत्यार्पित राशि	कुल अनुदान जो घटाने के बाद रहेगा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0160. 33 01 सब्सिडी	3245187000	3965187000	4093062000	127875000	4093062000	0135.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	511500000	511500000	383625000	127875000	383625000
योग-				127875000						127875000	

- टिप्पणी:- (क) स्तम्भ-1 और 7 में ऐसे लघु उद्योग, उप शीर्ष दिखाये जाय जिससे इकाई संबंधित हो।
 (ख) स्तम्भ 3 या 9 में सम्पर्क पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त अनुदान की राशि सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार अन्य इकाईयाँ में पुनर्विनियोजित रकम को घटाकर दिखाई जाय। स्तम्भ 3 और 9 में ऑकड़े पीठ पर अंकित किया जाय।
 (ग) स्तम्भ 6 में 3 और 5 का जोड़ दिखाया जाय।
 (घ) स्तम्भ 12 में स्तम्भ 9 और 11 के ऑकड़ों का अन्तर दिखाया जाय

अतिरिक्त पुनर्विनियोग के लिए आवेदन पत्र

ज्ञापांक

पटना, दिनांक.....

संलग्न विवरणी के अनुदान सं०-23 के मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80 सामान्य, लघु शीर्ष 102 औद्योगिक उत्पादकता, मॉग संख्या 23, उपशीर्ष 0160 प्री-प्रोडक्सन एवं पोस्ट-प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष:-0160.33 01 सब्सिडी में कुल ₹ 12,78,75,000.00 (बारह करोड़ अठहत्तर लाख पचहत्तर हजार) मात्र का पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

(2) प्रस्तावित पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण:-

मलवरी विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80 सामान्य, लघु शीर्ष 102 औद्योगिक उत्पादकता, मॉग संख्या 23, उपशीर्ष 0160 प्री-प्रोडक्सन एवं पोस्ट-प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष:-0160.33 01 सब्सिडी में कुल ₹ 12,78,75,000.00 (बारह करोड़ अठहत्तर लाख पचहत्तर हजार) मात्र की अतिरिक्त आवश्यकता है। राशि का उपबंध ममुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80 सामान्य, लघु शीर्ष 102 औद्योगिक उत्पादकता, मॉग संख्या 23, उपशीर्ष 0135 इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, विपत्र कोड 23-2852801020135, विषय शीर्ष-0135.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन में कुल ₹ 12,78,75,000.00 (बारह करोड़ अठहत्तर लाख पचहत्तर हजार) मात्र बचत की राशि को प्रत्यर्पित कर पुनर्विनियोग प्रस्तावित है।

(3) उक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी जिला के वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी, वाणिज्य-कर विभाग होंगे जो वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटन के आधार पर संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेंगे।

(4) पुनर्विनियोग की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्यर्पित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण यदि कुछ हो:-

पुनर्विनियोग के आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण ऊपर कंडिका 2 में अंकित है।

(5) स्तम्भ 2 और 3 तथा स्तम्भ 8 और 9 में यदि कोई अन्तर हो तो उसका स्पष्टीकरण:-

(क) 2 एवं 3 में अन्तर पुनर्विनियोग से राशि प्राप्त होने के कारण।

(ख) 8 एवं 9-में शून्य।